



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072026-274772
CG-DL-E-24072026-274772

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3873]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 23, 2026/श्रावण 1, 1948

No. 3873]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 23, 2026//SHRAVAN 1, 1948

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2026

का.आ. 4043(अ).—केंद्रीय सरकार, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 20 क के अनुसरण में, राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए किसी भी विनिर्माण इकाई द्वारा विनिर्मित करने के लिए निम्नलिखित उर्वरक के विनिर्देश को अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

(1) निर्जल अमोनिया उर्वरक

भार के आधार पर नाइट्रोजन प्रतिशत, न्यूनतम

82

[फा. सं. 4-62/2026 उर्वरक विधि]

फ्रैंकलिन एल. खोबंग, संयुक्त सचिव

